अनुदान संख्या 89 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
GRANT No. 89 – MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
राजस्वः	**Revenue :**				
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	5183,00,00	5183,05,00	4849,08,27	-333,96,73
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				327,72,28
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted –		270,00,00	245,00,00	-25,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				25,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	2242.00	2409.37	2408.58	-0.79
पु.	R.	167.37			
मुख्य शीर्ष “2225”	Major Head “2225”				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	36148.00			
पू.	S.	2.00	18402.72	18265.81	-136.91
पु.	R.	-17747.28			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	46411.00			
पू.	S.	3.00	38564.99	38373.39	-191.60
पु.	R.	-7849.01			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	20050.00			
			..	..	..
पु.	R.	-20050.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	412591.00			
			424529.14	424242.63	-286.51
पु.	R.	11938.14			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	852.00			
			1625.50	1617.56	-7.94
पु.	R.	773.50			

(I) ₹32421.00 लाख का प्रावधान तैंतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹31350.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹32421.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty three heads; of these ₹ 31350.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" -

(A) Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Castes – Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) ''हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना'' - ₹9800.00 लाख; और

(ख) ''अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता'' - ₹150.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय केंद्र'' - ₹1000.00 लाख स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''सामाजिक कल्याण - विकलांगों का विकास'' -

(i) ''विकलांगों के लिए सहायता और उपकरण''- ₹1200.00 लाख;

(ii) ''विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को लागू करने संबंधी स्कीम'' - ₹500.00;

(iii) ''दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम'' - ₹1700.00 लाख;

(iv) ''राष्ट्रीय संस्थानों के निधीयन के लिए स्कीम'' - ₹700.00 लाख;

(ख) ''सामाजिक कल्याण - मद्यनिषेध - मद्यव्यसनिता और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम'' - ₹500.00 लाख;

(ग) ''सामाजिक कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - ₹400.00 लाख;

(घ) ''सामाजिक कल्याण - अन्य कार्यक्रम - सूचना और जनशिक्षा प्रकोष्ठ'' - ₹200.00 लाख;

(ङ) ''पिछड़ी जातियों का कल्याण - शिक्षा'' -

(a) "Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers" - ₹9800.00 lakhs ; and

(b) "Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub Plan" - ₹150.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from Implementing Agencies.

(c) "Dr. B.R. Ambedkar National Centre" - ₹1000.00 lakhs – due to non-approval of the Scheme.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Social Welfare - Welfare of Handicapped"-

(i) "Aids and Appliances for the Handicapped" - ₹1200.00 lakhs;

(ii) "Schemes for implementation of Persons with Disabilities Act, 1995" - ₹500.00 lakhs;

(iii) "Deen Dayal Disabled Rehabilitation Schemes" - ₹1700.00 lakhs;

(iv) "Schemes for funding to National Institutes"- ₹700.00 lakhs;

(b) "Social Welfare – Prohibition - Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse" – ₹ 500.00 lakhs;

(c) "Social Welfare – Assistance to Voluntary Organisations – Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to Aged" - ₹400.00 lakhs;

(d) "Social Welfare – Other Programme – Information and Mass Education Cell" – ₹200.00 lakhs;

(e) "Welfare of Backward Classes – Education"–

(i) "बालक और बालिका छात्रावास" - ₹500.00 लाख;

(ii) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - ₹5400.00 लाख;

(iii) "मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹500.00 लाख;

(च) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(i) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" - ₹6050.00 लाख; और

(ii) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - आर्थिक विकास" - ₹1850.00 लाख।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पिछड़ी जातियों का कल्याण - शिक्षा" -

(क) "अधिसूचना से हटाई गई और खानाबदोश जनजातियों का शैक्षिक और आर्थिक विकास" - ₹450.00 लाख; और

(ख) "आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक सशक्तीकरण" - ₹450.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(क) "राजीव गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अध्येतावृत्ति" - ₹1931.47 लाख की बचत (₹12300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चुनाव प्रक्रिया में विलंब होने की वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम निधियों

(i) "Boys and Girls Hostels" – ₹500.00 lakhs;

(ii) "Post Matric Scholarship" – ₹5400.00 lakhs;

(iii) "Pre-Matric Scholarship" – ₹500.00 lakhs;

(f) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "Welfare of Scheduled Castes – Education" – ₹6050.00 lakhs; and

(ii) "Welfare of Scheduled Castes – Economic Development" – ₹1850.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Backward Classes - Education" –

(a) "Educational and Economical Development of De-notified and Nomadic Tribes" - ₹450.00 lakhs; and

(b) "Educational Empowerment of Economically Backward Classes" – ₹450.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of the schemes.

(II) Under Major Head "2225" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "Rajiv Gandhi National Fellowship for SCs" – saving of ₹1931.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12300.00 lakhs) was due to requirement of less funds by University

की आवश्यकता होन और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

Grants Commission owing to delay in selection process and availability of unspent balances of previous years.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए श्रेष्ठ शिक्षा" - ₹918.12 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थाओं से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(b) "Top Class Education for SCs" – saving of ₹918.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Institutions and availability of unspent balances of previous years.

(ग) "बाल छात्रावास" - ₹1140.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Boys Hostels" – saving of ₹1140.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(घ) "बालिका छात्रावास" - ₹900.00 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "Girls Hostels" – saving of ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संगठनों से पूरे/पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of complete/ adequate proposals from Universities/NGOs.

(ङ) "अनुसूचित जाति स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" - ₹1464.60 लाख की बचत (₹3400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से सिफरिश/निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण हुई।

(e) "Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes" – saving of ₹1464.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs) was due to non-receipt of recommendations/Inspection reports from the State Governments.

(खा) "पिछड़ी जातियों का कल्याण - अन्य व्यय - पिछड़ी जाति स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" - ₹348.26 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Welfare of Backward Classes - Other Expenditure – Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes" –saving of ₹348.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(III) Under Major Head "2235" – "Social Welfare" – savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - मुख्य विकलांग आयुक्त कार्यालय" - ₹105.87 लाख की बचत (₹227.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration – Office of the Chief Commissioner for Disabilities" – saving of ₹105.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹227.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) ''विकलांगों का कल्याण - अन्य स्कीमें'' - ₹6144.51 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.55 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹26039.55 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों/कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने/विलंब से प्राप्त होने और केंद्र की स्थापना में विलंब होने और स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई ।

(गा) ''सुधारात्मक सेवाएं - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान'' - ₹400.65 लाख की बचत ((मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.65 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1025.65 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान द्वारा कार्यकलाप आरंभ न किए जाने और प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) ''स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' -

(क) ''स्वैच्छिक संगठनों को सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायता'' - ₹200.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - ₹1601.41 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) ''अन्य कार्यक्रम - अनुसंधान और प्रशिक्षण'' - ₹180.43 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्वैच्छिक संगठनों/कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''समाज कल्याण - विकलांग कल्याण - विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को लागू करने संबंधी स्कीम'' - ₹6051.32 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Welfare of Handicapped – Other Schemes" – saving of ₹6144.51 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹26039.55 lakhs including token supplementary grant of ₹0.55 lakh obtained in March, 2012) was due to non-receipt/late receipt of proposals from Voluntary Organizations/Implementing Agencies and late setting up of centre and non-approval of the scheme.

(C) "Correctional Services – National Institute of Social Defence" – saving of ₹400.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1025.65 lakhs including token supplementary grant of ₹0.65 lakh obtained in March, 2012) was due to non-taking up of activities by the Institute and non-receipt of proposals.

(D) "Assistance to Voluntary Organisations" –

(a) "Assistance to Voluntary Organisations for providing Social Defence Services"–saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs);

(b) "Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to Aged" – saving of ₹1601.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs); and

(E) "Other Programmes – Research and Training" – saving of ₹180.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from Voluntary Organisations/Implementing Agencies.

(IV) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes" –

(a) "Social Welfare – Welfare of Handicapped – Schemes for Implementation of Persons with Disabilities Act, 1995" - saving of ₹6051.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs);

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(i) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - आर्थिक विकास" - ₹10060.06 लाख की बचत (₹75700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" - ₹109.26 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पिछड़ी जातियों का कल्याण - शिक्षा" -

(क) "बाल और बालिका छात्रावास" - ₹2613.11 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹301.27 लाख की बचत (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(V) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹521.34 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹32712.68 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" - ₹167.37 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹166.58 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2225" - "पिछड़ी जातियों का कल्याण - शिक्षा - बाल और बालिका छात्रावास" - ₹340.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹319.00 लाख था।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "Welfare of Scheduled Castes – Economic Development" – saving of ₹10060.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75700.00 lakhs);

(ii) "Welfare of Scheduled Castes – Education" – saving of ₹109.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs);

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Backward Classes –Education"–

(a) "Boys and Girls Hostels" – saving of ₹2613.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs); and

(b) "Pre-Matric Scholarship" – saving of ₹301.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less proposals from the State Governments.

(V) Under six heads savings of ₹521.34 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 17 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹32712.68 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Social Justice and Empowerment" – ₹167.37 lakhs. Actual excess, however, was ₹166.58 lakhs.

(B) Major Head "2225" – "Welfare of Backward Classes – Education – Boys and Girls Hostels"– ₹340.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹319.00 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - विकलांग कल्याण - राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बधिर, मंदबुद्धि और अस्थि विकलांग संस्थान का विकास और सुधार" - ₹885.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹918.07 लाख था।

(C) Major Head "2235" – "Social Welfare – Welfare of Handicapped – Expansion and Improvement of National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopaedically Handicapped" – ₹885.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹918.07 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(D) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(क) "पिछड़ी जातियों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम" - ₹4803.92 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4803.24 लाख था।

(a) "Welfare of Backward Classes – Education – Post-Matric Scholarship Scheme" – ₹4803.92 lakhs. Actual excess, however, was ₹4803.24 lakhs.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" - ₹26516.39 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹26240.67 लाख था।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Welfare of Scheduled Castes – Education" –₹26516.39 lakhs. Actual excess, however, was ₹26240.67 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - अनुसूचित जातियों और अन्य वर्ग के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति" - ₹107.07 लाख का अधिक व्यय (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विदेश मंत्रालय से प्रतिपूर्ति के ज्यादा दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Castes – Special Component Plan for Scheduled Castes – Scholarship to Students of Scheduled Castes and Other Categories for Studies Abroad" – excess of ₹107.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to receipt of more reimbursement claims from the Ministry of External Affairs on account of SC and OBC students studying abroad.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes –Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - आर्थिक विकास" - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹9700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Welfare of Scheduled Castes – Economic Development" – excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9700.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अन्य अनुदान" - ₹343.74 लाख का अधिक व्यय (₹6700.00 लाख के

(b) "Welfare of Scheduled Castes – Other Grants" – excess of ₹343.74 lakhs (against the

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से नागरिक अधिकारों की रक्षा करने और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर होने वाली ज्यादतियों को रोकने के लिए ज्यादा दावे प्राप्त होने के कारण हुआ ।

sanctioned provision of ₹6700.00 lakhs) was due to receipt of more claims from the State Governments towards protection of Civil Rights and Prevention of Atrocities against SCs/STs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" - ₹1033.00 लाख का अधिक व्यय (₹352.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ज्यादा प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3602" – "Grant for Centrally Sponsored Plan Schemes – Special Component Plan for Scheduled Castes – Welfare of Scheduled Castes – Education" – excess of ₹1033.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹352.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from Union Territory Administrations.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes				
मू.	O.	21200.00	22000.00	22000.00	..
पु.	R.	800.00			
मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	4500.00	2500.00	2500.00	..
पु.	R.	-2000.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1300.00	..	..	..
पु.	R.	-1300.00			

(I) ₹1300.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1200.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त विकास निगम" - ₹700.00 लाख; और

(खा) "समाज कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम" - ₹500.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4235" - "समाज कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम" के अंतर्गत ₹2000.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य चैनलाइजिंग एंजेसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त विकास निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹700.00 लाख का अधिक व्यय (₹6300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹1300.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹1200.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - under the following heads:-

(A) "General (Capital Outlay on Welfare of SCs, STs and Other Backward Classes) – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Finance Development Corporation for Weaker Sections" – ₹700.00 lakhs; and

(B) "Social Welfare – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Handicapped Finance and Development Corporation" – ₹500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "4235" – "Social Welfare – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Handicapped Finance and Development Corporation" – saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with State Channelising Agencies.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4225" –"General - Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Finance Development Corporation for Weaker Sections" – excess of ₹700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 6300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.